PWD2-BUD/ANBU/39/2023-III-2-Public Works Department

/.70176/2023

ई फाईल संख्या-54552

प्रेषक,

शयाम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 22 नवम्बर,2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-मंगलौर में 07 निर्माण कार्यों (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता , क्षे०का० लो०नि०वि०, देहरादून द्वारा निम्नांकित तालिका में वर्णित निर्माण कार्यो हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तुत आगणनों, जिनके अंतर्गत मार्गो की कुल लम्बाई 5.675 कि०मी० एवं लागत ₹156.47 लाख है, के शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹156.47 लाख (₹ एक करोड़ छप्पन लाख सैंतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात 07 कार्यो हेतु कुल ₹0.70 लाख (₹ सत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही राशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम मुडलाना में नदी का जो मेन रास्ता है, रास्ते पर फारूख के खेत के बराबर से नजीर के खेत की ओर ईंट खडण्जा का निर्माण कार्य । (विस्तृत आगणन)	0.500	12.62	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम मंडावली में तराबुद्दीन के चक से राजवाहे की ओर ईंट खडण्जा का निर्माण कार्य । (विस्तृत आगणन)	0.650	18.00	0.10
3.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम नगला चीना में मेन रोड से उत्तर दिशा में ग्राम मुण्डलाना की ओर घनश्याम के खेत की ओर ईंट खडण्जा का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.150	32.11	0.10
4.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम टिकोला में मेन रोड़ से छोटे रजवाहे की ओर ईंट खडण्जा का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.600	18.68	0.10
5.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम लिब्बारेहडी में	1.000	27.09	0.10

	पीर के मजार से लेकर चौधरी बालिन्दर के खेत की ओर ईंट खडण्जा का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)			
6.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम संकोती में मेन रोड़ से संकोती गांव की लिंक रोड़ तक ईंट खडण्जा का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.825	22.63	0.10
7.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र-मंगलौर के अन्तर्गत ग्राम धोसीपुरा व सिक्खर में सोलानी पुल से विजय पुत्र बाबूराम के खेत की ओर ईंट खडण्जा का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.950	25.34	0.10
	योग	**5.675**	**156.47**	**0.70**

(₹ सत्तर हजार मात्र)

2- उपरोक्त स्वीकृतियां निम्नांकित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जा रही है:-

i. ग्राम पंचायत के अधीन मार्गों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं अनुरक्षण के दृष्टिकोण से मार्ग निर्माण के उपरान्त मार्गो को ग्राम पंचायत के सक्षम स्तर पर हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व इन मार्गों के सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भी सक्षम स्तर पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराना आवश्यक होगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

ii. विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं,अथवा बाजार भाव से ली गई हो,की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

iii. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त (वे०आ०-सा०नि०)अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-149101/XXVII(7)E-20209/2022, दिनांक 25.08.2023 का अनुपालन सुनिश्चत किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

iv. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

v. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

vi. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

vii. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

viii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

ix. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

x. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

xi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों , बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

xii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

xiii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xiv. विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 203-24 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28-03-2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 के संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

3 - इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामें डाला जायेगा ।

4 - ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-I/169733/2023, दिनांक 20-11-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 21-11-2023 15:38:01

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षे०कार्या० लो.नि.वि., देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो.नि.वि., हरिद्वार।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., लक्सर ।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/170176/2023 आवंटन आई डी-S23110220027
अनुदान संख्या -022 आवंटन पत्र दिनांक-29-NOV-2023

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	7810000	70000	0	7880000
योग	7810000	70000	0	7880000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.70,000 (Rupees Seventy Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 1429 /20 याता0'क'नियो0–1/2023 दिनांक–04 .12.2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून